प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 994 वर्ष 1993

अपीलार्थी

1. रूपराम पिता लक्ष्मण सतनामी, उम्र 36 साल

2. जगजीवन पिता धनीराम सतनामी, उम्र 31 साल

3. गोविंदराम पिता छतराम सतनामी, उम्र 24 साल

सभी निवासी परसाभाटा, आरक्षी केंद्र जांजगीर,

जिला: बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

दाण्डिक अपील क्रमांक 1014 वर्ष 1993

अपीलार्थी

परदेसी पिता धनीराम सतनामी, उम्र 31 साल,

निवासी परसाभाटा, आरक्षी केंद्र जांजगीर,

जिला: बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

दाण्डिक अपील क्रमांक 588 वर्ष 1994

अपीलार्थी रामेश्वर पिता जनीराम सतनामी, उम्र 31 साल,

निवासी परसाभाटा, आरक्षी केंद्र जांजगीर,

जिला: बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 589 वर्ष 1994

अपीलार्थी हेतराम पिता पूरन सतनामी, उम्र 44 साल,

निवासी परसाभाटा, आरक्षी केंद्र जांजगीर

जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

दाण्डिक अपील क्रमांक 590 वर्ष 1994

अपीलार्थी — जानीराम पिता मुरितराम, उम्र 46 साल,

निवासी परसाभाटा, आरक्षी केंद्र जांजगीर,

जिला: बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी — मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

दाण्डिक अपील क्रमांक 38 वर्ष 2005

अपीलार्थी — लक्ष्मी प्रसाद पिता धनीराम, उम्र 40 साल,

निवासी परसाभाटा, आरक्षी केंद्र जांजगीर,

जिला: बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी — मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत अपील

उपस्थिति:-

- दाण्डिक अपील क्र. 994/93 और 1014/93: अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री वी.सी. ओत्तलवार।
- दाण्डिक अपील क्र. 38/2005: अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रंजना जायसवाल।

- दाण्डिक अपील क्र. 588/94, 589/94 और 590/94: अपीलकर्ताओं की ओर से 'न्याय मित्र' के रूप में अधिवक्ता श्री वी.सी. ओत्तलवार उपस्थित हुए।
- राज्य की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी एवं उप शासकीय अधिवक्ता श्री सुधीर बाजपेई।

निर्णय

(दिनांक: 23.03.2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा प्रदत्त

(1) ये अपीलें प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा **सत्र विचारण क्र. 103 / 88** में पारित दिनांक 17.09.1993 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित हैं। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अपीलकर्ताओं को निम्नलिखित तरीके से दोषसिद्धि किया गया है और दंडित किया गया है, साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि सभी दंडादेश साथ साथ चलेंगी :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्र. सं.	**आरोपी/अपीलकर्ता**	**धारा**	**दंडादेश**
1	रामेश्वर, रूपराम, गोविंदराम, लक्ष्मी प्रसाद, जनीराम, हेतराम, परदेसी और जगजीवन (सभी अपीलकर्ता)	अंतर्गत धारा 148 भा दं वि अंतर्गत धारा 302/149 भा दं वि (2 बार)	1 वर्ष का सश्रम कारावास आजीवन कारावास और ₹1,000 जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधारण कारावास
2	रामेश्वर (A-6)	अंतर्गत धारा 326	5 वर्ष का सश्रम कारावास और

क्र. सं.	**आरोपी/अपीलकर्ता**	**धारा**	**दंडादेश**
		भा दं वि	₹1,000 जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधारण कारावास।
3	रूपराम (A-10)	अंतर्गत धारा 325 भा दं वि अंतर्गत धारा 323 भा दं वि अंतर्गत धारा 323भा दं वि	3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,000 जुर्माना, व्यतिअनुक्रम होने पर 3 माह का साधारण कारावास 1 वर्ष का सश्रम कारावास। 1 वर्ष का सश्रम कारावास।
4	गोविंदराम (A-20)	अंतर्गत धारा 323 भा दं वि	1 वर्ष का सश्रम कारावास।
5	जानीराम (A-1)	अंतर्गत धारा 326 भा दं वि	5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,000 जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधारण कारावास।
6	हेतराम (A-2)	धारा 323 भा दं वि	1 वर्ष का सश्रम कारावास।
7	परदेसी (A-4)	अंतर्गत धारा 324	1 वर्ष का सश्रम कारावास और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्र. सं.	**आरोपी/अपीलकर्ता**	**धारा**	**दंडादेश**
		भा दं वि (2 बार)	₹1,000 जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधारण कारावास।
8	जगजीवन (A-19)	अंतर्गत धारा 324 भा दं वि	1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,000 जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधारण कारावास।

(2) **संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

फिरतराम (अ. सा. -12) ने लेहराराम सतनामी (A-5) की बहन श्रीमती फूलबाई की भूमि खरीदी थी। उक्त भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। इससे पहले भी छोटे-मोटे विवादों को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वास्तव में, इसी कारण ग्रामीण दो समूहों में बंट गए थे। दिनांक 25.7.87 को दोपहर लगभग 3.00 बजे दोनों समूहों के छोटे बच्चे आपस में झगड़ पड़े, जिस पर सहसराम (अ. सा. -13) ने बीच-बचाव किया। हेतराम (A-2) और जनीराम (A-1) का सहसराम से झगड़ा हो गया। जनीराम ने उस पर तब्बल (एक प्रकार का हथियार) से और हेतराम ने लाठी से हमला किया। शत्रुघ्न (मृतक) और उप-सरपंच सुपेतन (मृतक) बचाने के लिए वहां आए। यह देखकर शेष आरोपी घातक हथियारों के साथ वहां आ गए, सभी ने मिलकर एक विधिविरुद्ध जमाव बनाकर बल्वे में भाग लिया और उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मृतक सुपेतन की हत्या कर दी। तथा उन्होंने शत्रुघ्न, उमेदराम (अ. सा. -16), सहसराम (अ. सा. -13), तीरथराम (अ. सा. -4), नीकराम (अ. सा. -15), फिरतराम (अ. सा. -12) और श्रीमती गंगामती (अ. सा. -11) पर भी हमला किया। इस

प्रकार सुपेतन ने अपनी जान गवाई और मृतक शत्रुघ्न (जिसकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई) सहित 7 व्यक्तियों को उक्त घटना में कई चोटें आईं। रात लगभग 8.15 बजे कामता प्रसाद (अ. सा. -14) द्वारा संबंधित आरक्षी केंद्र में मामले की सूचना दी गई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/26) दर्ज की गई। प्रथम सुचना रिपोर्ट में सभी अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। इसमें घायल चक्षुदर्शी साक्षियों और मृतकों के नाम के साथ घटना का लगभग पूरा विवरण भी है। घायलों को मांग पत्र प्रदर्श पी/78 से प्रदर्श पी/87 के माध्यम से चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. पी.के. नरूला (अ. सा. -23) ने उनका परीक्षण किया। उन्होंने घायलों के शरीर पर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

घायलों का विवरण और चोटें:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उमेदराम (अ. सा. -16):</u>

(i) दाहिने पैरिएटल क्षेत्र (सिर का हिस्सा) पर 7 सेमी x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव

(ii) दाहिने स्कैपुलर क्षेत्र (कंधे के पीछे) पर 10 सेमी x 2 सेमी का लाल रंग का नीलांगू

चोटें साधारण प्रकृति की थीं। उनकी चोटों की रिपोर्ट प्रदर्श पी/78-A है।

<u>शत्रुघ्न (जिसकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई):</u>

(i) दाहिने पैरिएटल क्षेत्र पर 12 सेमी x 1.2 सेमी का कटा हुआ घाव, जिसमें नीचे की हड्डी टूट गई थी।

(ii) दाहिने ऑक्सीपिटल क्षेत्र (सिर के पिछले हिस्से) पर 5 सेमी x 0.8 सेमी का कटा हुआ घाव।

(iii) बाईं टांग पर 3 सेमी x 1 सेमी की खरोंच (Abrasion)।

(iv) बाईं टांग के मध्य 1/3 हिस्से पर 0.5 सेमी x 0.5 सेमी की खरोंच ।

(v) बाईं कोहनी के किनारे तरफ 1 सेमी x 1 सेमी की खरोंच ।

चोट क्र. (i) और (ii) धारदार हथियार से कारित की गई थीं, जबकि अन्य चोटें कठोर और खुरदरी वस्तु से कारित की गई थीं। चोट क्र. (i) जीवन के लिए खतरनाक थी।

<u>सहसराम (अ. सा. -13):</u>

(i) दाहिने पैरिएटल क्षेत्र पर 4 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव।

(ii) बाएं पैरिएटल क्षेत्र पर 6 सेमी x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव।

(iii) बाईं जांघ के बीच में 15 सेमी x 15 सेमी का नीलांगू।

(iv) दाहिने स्कैपुलर क्षेत्र पर 15 सेमी x 2 सेमी का नीलांगू ।

(v) बाएं कंधे के हिस्से पर 15 cm x 2 cm का नील का निशान।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चोट नंबर (i) और (ii) धारदार हथियार से लगी थीं और चोट नंबर (iii) से (v) किसी सख्त खुरदरी चीज़ से लगी थीं। चोट नंबर (ii) से (v) मामूली चोटें थीं। उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। उसकी चोट की रिपोर्ट प्रदर्श पी /80-A है।

<u>तीरथराम (अ. सा. -4):</u>

(i) दाहिने फ्रंटो-पैरिएटल क्षेत्र पर 4 सेमी x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव।

(ii) बाएं पैराइटल हिस्से पर 1.5cm x 0.3 cm का फटा हुआ घाव।

(iii) बाएं हाथ पर चोट और सूजन।

(iv) दाहिने हाथ पर 1.2 cm x 0.2 cm का खरोंच।

(v) चोट नंबर (iv) के पास दाहिने हाथ पर 4 cm x 2 cm का नीलांगू का निशान।

चोट नंबर (i) तेज़ धार वाले हथियार से लगी थी, जबकि चोट नंबर (iii) से (v) तक सख्त और खुरदरी चीज़ से लगी थीं। उन्हें चोट नंबर (iii) का एक्स-रे करवाने की सलाह दी गई थी। बाकी चोटें मामूली थीं। उनकी चोट की रिपोर्ट प्रदर्श पी /81-A है।

<u>नीकराम [पीडब्ल्यू-15]</u>

(i) दाहिने पैराइटल हिस्से पर 5 cm x 0.5 cm का कटा हुआ घाव।

(ii) दाहिनी बांह के ऊपरी हिस्से पर 4 cm x 4 cm का नीलांगू का निशान।

(iii) बाईं बांह के बीच में 10 cm x 1.5 cm का नीलांगू का निशान। रेडियस हड्डी को दबाने पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।

सभी चोटें किसी सख्त और खुरदरी चीज़ से लगी थीं। चोट नंबर (i) और (ii) मामूली थीं। उसे चोट नंबर (iii) का एक्स-रे करवाने की सलाह दी गई। उसकी चोट की रिपोर्ट प्रदर्श पी /82-A है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>फिरतराम [PW-12]:</u>

(i) दाहिनी बांह पर 2.5 cm X 0.5 cm का कटा हुआ घाव।

(ii) दाहिनी बीच वाली उंगली पर 0.5 cm x 0.5 cm के दो नीलांगू के निशान।

(iii) दाहिनी बांह पर नील और सूजन।

(iv) दाहिनी जांघ के निचले हिस्से पर 0.7 cm x 0.5 cm का खरोंच।

(v) चोट नंबर (iv) के आसपास 5 cm x 5 cm का नीलांगू का निशान।

चोट नंबर (i) धारदार हथियार से लगी थी, जबकि दूसरी चोटें किसी कठोर और खुरदरी चीज़ से लगी थीं। उन्हें चोट नंबर (iii) का एक्स-रे करवाने की सलाह दी गई थी। चोट नंबर (iii) को छोड़कर बाकी सभी चोटें मामूली थीं। उनकी चोट की रिपोर्ट प्रदर्श पी /83-A है।

<u>श्रीमती गंगामती (अ. सा. -11):</u>

(i) बाएं कंधे के सामने के हिस्से पर 15 cm x 5 cm का कटा हुआ घाव। यह छाती के बाएं हिस्से तक फैल गया था। ह्यूमरस हड्डी के सिर में फ्रैक्चर दिख रहा था। बाएं ह्यूमरस का सिर भी अपनी जगह से हट गया था।

चोटें गंभीर थीं। उसे भी दूसरों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी चोट की रिपोर्ट प्रदर्श पी /84-A है।

एक्स-रे परीक्षण पर यह पाया गया कि **तीरथराम (अ. सा. -4)** की बाईं रेडियस हड्डी (radius bone) में फ्रैक्चर हुआ था। इसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी/49 और एक्स-रे प्लेट प्रदर्श पी /5 है। **गंगामती (अ. सा. -11)** को भी स्कैपुला (scapula) के एक्रोमियम पर फ्रैक्चर हुआ था। उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी /53 और एक्स-रे प्लेट प्रदर्श पी /54 है। **फिरतराम (अ. सा. -12)** की भी दाहिनी अल्ना हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी /55 और एक्स-रे प्लेट प्रदर्श पी /56 है। सुपेतन के मृत शरीर का परीक्षण डॉ. यू.सी. शर्मा (अ. सा. -2) द्वारा किया गया। उन्होंने शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) बाईं भौंह के ऊपर 3 सेमी x 2 सेमी x 2 सेमी का फटा हुआ घाव (Lacerated wound)।

(ii) दाहिनी भौंह के ऊपर 1 सेमी x 1/2 सेमी x 1/4 सेमी का फटा हुआ घाव।

(iii) बाएं फ्रंटो-पैरिएटल क्षेत्र (सिर का हिस्सा) पर 2 सेमी x 2 सेमी का फटा हुआ घाव।

(iv) बाईं भौंह पर 1 सेमी x 1/2 सेमी x 1/2 सेमी का फटा हुआ घाव।

(v) होंठ पर फैला हुआ फटा हुआ घाव।

(vi) गर्दन के अगले हिस्से पर 5 सेमी x 4 सेमी x 5 सेमी का कटा हुआ घाव। श्वासनली पूरी तरह कट गई थी और गर्दन के बाएं हिस्से की सभी रक्त वाहिकाएं भी कटी हुई थीं।

सभी चोटें मृत्यु-पूर्व की थीं। मृत्यु का कारण रक्त वाहिकाओं के कटने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और श्वासनली में लगी चोटें थीं। मृत्यु की प्रकृति 'आपराधिक मानव वध' की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी /5 है।

शत्रुघ्न की भी उपचार के दौरान 26.07.1987 को मृत्यु हो गई। उनके शव को भी शव परीक्षण के लिए भेजा गया, जो डॉ. एच.आर. थारवानी **(अ. सा. -6)** द्वारा किया गया। उन्होंने मृतक शत्रुघ्न के शरीर पर लगभग वैसी ही बाहरी चोटें देखीं जैसी उनकी एम एल सी रिपोर्ट में थीं। आंतरिक परीक्षण पर उन्होंने पाया कि दाहिनी पैरिएटल हड्डी पर दबा हुआ फ्रैक्चर था, जो टेम्पोरो-पैरिएटल क्षेत्र तक फैला हुआ था। ऑक्सीपिटल हड्डी पर 8 सेमी x 1.2 सेमी का एक और फ्रैक्चर था। इसने ड्यूरामेटर (मस्तिष्क की झिल्ली) को दबा दिया था। ड्यूरामेटर पर खून के थक्के पाए गए और उक्त फ्रैक्चर के नीचे मस्तिष्क के हिस्से बुरी तरह फट गए थे। उनकी राय थी कि उपरोक्त चोटें मृत्यु-पूर्व थीं और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं; मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों और मस्तिष्क की चोटों के कारण हुआ रक्तस्राव था; और मृत्यु की प्रकृति ' मानव वध' थी। आगे की विवेचना में, आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और उनके मेमोरेंडम कथन (साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत) दर्ज किए गए और आरोपियों की निशानदेही पर विभिन्न हथियार जब्त किए गए। हथियारों को परीक्षण के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया, जिन्होंने राय दी कि मृतकों और घायल गवाहों को लगी चोटें इन हथियारों से आ सकती थीं। उन्होंने हथियारों पर लगे खून जैसे धब्बों के रासायनिक परीक्षण की सलाह दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) सामान्य विवेचना पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के समक्ष 20 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग-पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को संबंधित सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया। वहां से अंतरण पर मामला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को प्राप्त

हुआ, जिन्होंने उसका विचारण किया। 20 आरोपियों (A-1 से A-20) में से, एक आरोपी (A-7) की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई और 11 आरोपियों (A-3, A-5, A-8 और A-11 से A-18) को दोषमुक्त कर दिया गया। हालांकि, उपरोक्त 8 अपीलकर्ताओं/आरोपियों (A-1, A-2, A-4, A-6, A-9, A-10, A-19 और A-20) को दोषी ठहराया गया और उपरोक्त अनुसार दंडित किया गया।

(4) अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि मुख्य रूप से घायल गवाहों—तीरथराम (अ. सा. -4), श्रीमती गंगामती (अ. सा. -11), फिरतराम (अ. सा. -12), सहसराम (अ. सा. -13), नीकराम (अ. सा. -15) और उमेदराम (अ. सा. -16) के चक्षुदर्शी साक्षियों के बयानों पर आधारित है।

(5) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य विरोधाभासी हैं और उनके साक्ष्यों में कई लोप हैं, इसलिए वे अविश्वसनीय हैं। हमने सभी चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों पर विचार किया है। गंगामती (अ. सा. -11) ने गवाही दी कि जब उन्होंने शोर-शराबा सुना, तो वह अपने बेटे सुपेतन (अब मृतक), घासनी बाई और तीरथराम (अ. सा. -4) के साथ घटनास्थल पर पहुँचीं। सुपेतन पर रूपराम (A-10) और गोविंदराम (A-20) ने लाठियों से हमला किया। जब वह गिर गया, तो रामेश्वर (A-6) ने उसके गले पर 'तब्बल' से वार किया। उसके दूसरे बेटे शत्रुघ्न (अब मृतक) पर हेतराम (A-2) ने लाठी से हमला किया। जब वह गिर गया, तो जनीराम (A-1) ने उस पर 'टांगी' से हमला किया। उसके बाद रामेश्वर (A-6) ने उस पर तब्बल से हमला किया। जब उसने अपने बेटों को बचाने की कोशिश की, तो रामेश्वर (A-6) ने उसके कंधे पर तब्बल से वार किया। श्री ओत्तलवार ने गंगामती (अ. सा. -11) के धारा 161 दं. प्र. सं. के तहत दिए गए बयान (प्रदर्श D/1) का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उसने अपने उक्त बयान में हमले के तरीके का उल्लेख इस प्रकार नहीं किया था, जिससे उसकी गवाही पर संदेह पैदा होता है। हमने पाया कि गंगामती (अ. सा. -11) ने अपने 161 दं. प्र. सं. के बयान में सभी अपीलकर्ताओं के नाम लिए हैं और उसने कहा है कि मृतकों और उस पर उन आरोपियों ने हमला किया था जिन्होंने लाठी, तब्बल, फरसा और टांगी का इस्तेमाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया था। आरोपियों द्वारा हथियारों के उपयोग के तरीके और घटना के अनुक्रम से संबंधित सामान्य लोप उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाएंगी। उसने बहुत स्पष्ट रूप से गवाही दी कि मृतकों पर एक साथ हमला किया गया था और उस हमले में उसे भी चोटें आई थीं, जो रामेश्वर (A-6) द्वारा तब्बल से कारित की गयी थी।

(6) तीरथराम (अ. सा. -4) ने भी सभी अपीलार्थियों के नाम लिए हैं और उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में गवाही दी है। उसने गवाही दी कि परदेसी (A-4), जो मृतकों के साथ मारपीट में शामिल था, ने उस पर 'टांगी' (कुल्हाड़ी) से हमला किया। उसके केस डायरी के बयान (प्रदर्श डी/2) से उसका मिलान किया गया। हमें तीरथराम (अ. सा. -4) के साक्ष्य में कोई भी ऐसा लोप या विरोधाभास नहीं मिला जिससे उसे अविश्वसनीय माना जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) सहसराम (अ. सा. -13) ने गवाही दी कि हेतराम (A-2) ने उस पर 'लाठी' से हमला किया। हेतराम (A-2) के बुलाने पर जनीराम (A-1) आया और 8-10 अन्य व्यक्ति (अन्य आरोपी) भी वहां आ गए। जनीराम (A-1) ने उस पर टांगी से हमला किया। जब वह बचाने के लिए चिल्लाया, तो शत्रुघ्न (मृतक), सुपेतन (मृतक) और गंगामती (अ. सा. -11) घटना स्थल पर आए। उन्हें देखकर आरोपियों ने उसे छोड़ दिया और गोविंदराम (A-20) तथा रूपराम (A-10) ने मृतक सुपेतन पर लाठियों से हमला किया। जब सुपेतन गिर गया, तो रामेश्वर (A-6) ने उस पर 'तब्बल' से हमला किया और लक्ष्मी प्रसाद (A-9) ने सुपेतन पर लाठी से वार किया। उसने बहुत स्पष्ट रूप से गवाही दी कि जनीराम (A-1) ने शत्रुघ्न पर टांगी से हमला किया था और हेतराम (A-2) ने उस पर लाठी से हमला किया था। उसने आगे बताया कि लक्ष्मी प्रसाद (A-9) और गोविंदराम (A-20) ने भी शत्रुघ्न पर लाठी से हमला किया। उसने अन्य आरोपियों के नाम का भी उल्लेख किया था।

(8) इन 3 प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य को उमेदराम (अ. सा. -16), नीकराम (अ. सा. -15) और फिरतराम (अ. सा. -12) के साक्ष्य से और बल मिलता है। फिरतराम ने भी अपने न्यायालयीन साक्ष्य में हमले का

विवरण दिया। कुछ मामूली बिंदुओं पर उसके केस डायरी के बयान (प्रदर्श D/3) से उसका मिलान किया गया, जो कि महत्वपूर्ण नहीं हैं और उस आधार पर फिरतराम (अ. सा. -12) और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। हमने पाया कि इन गवाहों के साक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है और उनका साक्ष्य उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विरोधाभासी नहीं है जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है।

(9) इसके बाद यह तर्क दिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से धारा 302 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि उचित नहीं है। **मसाल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1965 SC 202** में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-17 में यह निर्धारित किया कि "एक व्यक्ति, जिसके बारे में आरोप है कि वह एक विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है, के विरुद्ध यह साबित किया जाना चाहिए कि वह उस जमाव का गठन करने वाले व्यक्तियों में से एक था और अन्य सदस्यों के साथ उसका 'समान उद्देश्य' (common object) था, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित है। धारा 142 यह प्रावधान करती है कि जो कोई भी, उन तथ्यों से अवगत होते हुए जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध बनाते हैं, जानबूझकर उस जमाव में शामिल होता है या उसमें बना रहता है, उसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, धारा 141 के पांच खंडों द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक समान उद्देश्यों से प्रेरित पांच या अधिक व्यक्तियों की जमाव एक विधिविरुद्ध जमाव है। ऐसे मामले में तय करने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सभा में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों का वही समान उद्देश्य था जैसा कि धारा 141 में निर्दिष्ट है। इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना प्रासंगिक हो जाता है कि क्या जमाव में कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जो केवल निष्क्रिय गवाह थे और बिना जमाव के समान उद्देश्य को अपनाए केवल जिज्ञासावश वहां शामिल हुए थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2010) 7 SCC 759 में, मसाल्टी (उपरोक्त) के मामले का संज्ञान लेते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जिस मामले में दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से होती है, वहां एकमात्र तय किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या जमाव में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों का धारा 141 में निर्दिष्ट एक या अधिक समान उद्देश्य था। समान उद्देश्य के निर्धारण के लिए, हमले से पहले, हमले के समय और उसके बाद उक्त सभा के प्रत्येक सदस्य का आचरण, साथ ही अपराध का हेतुक सुसंगत विचार हैं। हालांकि, विधिविरुद्ध आशय बनाने का समय महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह संभव है कि एक सभा, जो शुरुआत में विधि हो, बाद में विधिविरुद्ध हो जाए। अंत में, अभियोजन पक्ष से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई विशेष या स्वतंत्र भूमिकाओं को बताए, एक बार जब यह साबित हो जाता है कि वे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और उन्होंने मृतक पर हमला किया था जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) वर्तमान मामले में उपरोक्त 6 प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, सत्र न्यायालय ने माना कि अपीलार्थियों ने लाठी, टांगी और तब्बल जैसे घातक हथियारों से लैस होकर बल्वे में भाग लिया और उन्होंने 2 मृतक व्यक्तियों की हत्या करने के समान उद्देश्य से एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया। सत्र न्यायालय ने उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन किया है और हमले से पहले, हमले के समय और उसके बाद प्रत्येक अपीलार्थी के आचरण की विवेचना करते हुए उनके समान उद्देश्य का निर्धारण किया है। विधिविरुद्ध जमाव तब बना जब हेतराम (A-2) ने सहसराम (अ. सा. -13) पर हमला किया और आवाज लगाई, जिस पर अन्य अपीलार्थी घातक हथियारों के साथ वहां आ गए। उन्होंने विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य होने के नाते बल्वे में भाग लिया और जब शिकायतकर्ता पक्ष हेतराम को बचाने आया, तो उन्होंने दोनों भाइयों (मृतक व्यक्तियों) पर हमला करने का एक समान उद्देश्य बनाया और अपने साथ लाए गए हथियारों से हमला कर उनकी हत्या कर दी।

धरणीधर (पूर्वोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष के गवाहों से प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई विशेष या स्वतंत्र भूमिका बताने की उम्मीद नहीं की जाती है, एक बार यह साबित हो जाने पर कि आरोपी व्यक्ति विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और उन्होंने मृतक पर हमला किया था जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई। वर्तमान मामले में, उपरोक्त सभी गवाहों ने अपीलार्थियों की भागीदारी के बारे में गवाही दी है। घटना के समय उनका आचरण यह दर्शाता है कि वे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को अवैध नहीं कहा जा सकता।

(12) आगे यह तर्क दिया गया कि गंगामती (अ. सा. -11) मृतकों की माँ थी, इसलिए वह एक 'हितबद्ध साक्षी' (interested witness) थी और उसकी गवाही को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य [2007 AIR SCW 1835]** में, उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि एक गवाह जो मृतक का रिश्तेदार या अपराध का शिकार है, उसे 'हितबद्ध' नहीं कहा जा सकता। 'हितबद्ध' शब्द यह दर्शाता है कि गवाह का किसी द्वेष या किसी अन्य परोक्ष मकसद के कारण आरोपी को किसी न किसी तरह दोषी ठहराने में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'स्वार्थ' है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि एक करीबी रिश्तेदार को 'हितबद्ध' गवाह के रूप में नहीं देखा जा सकता। वह एक 'स्वाभाविक' गवाह है। हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक विवेचना की जानी चाहिए। यदि ऐसी विवेचना में उसका साक्ष्य मौलिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से भरोसेमंद पाया जाता है, तो दंड केवल ऐसे साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दी जा सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का करीबी रिश्ता उसके साक्ष्य को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार सामान्य रूप से असली अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष को झूठा फंसाने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2010 7 SCC 759) तथा अन्य संबंधित अपीलों में, उच्चतम न्यायालय ने पुन: दोहराया कि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य घटना के सच्चे गवाह नहीं हो सकते और वे हमेशा न्यायालय के सामने झूठी गवाही देंगे। उच्चतम न्यायालय ने माना कि मृतक का करीबी रिश्तेदार अपने आप में एक हितबद्ध साक्षी नहीं बन जाता। एक हितबद्ध साक्षी वह है जो प्रतिशोध या शत्रुता या विवादों के कारण किसी व्यक्ति को दंड दिलाने में रुचि रखता है और केवल उसी आशय से न्यायालय के सामने गवाही देता है, न कि न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि, हितबद्ध गवाह के बयान को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, बल्कि इसे स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक जांचना होगा। जब उनके बयानों की पुष्टि अन्य गवाहों, विशेषज्ञ साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों से होती है, जो स्पष्ट रूप से आरोपी के दोष की ओर इशारा करने वाली साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करते हैं, तब न्यायालय द्वारा तथाकथित "हितबद्ध गवाहों" के बयानों पर भरोसा किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) वर्तमान मामले में, गंगामती (अ. सा. -11) के अलावा, 5 अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। उन्होंने भी अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के बारे में गवाही दी है। उपरोक्त सभी 6 प्रत्यक्षदर्शियों के संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन पर, हम पाते हैं कि न तो गंगामाती (अ. सा. -11) के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि वह मृतकों की माँ थी, और न ही शेष प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य को अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में लिए गए अन्य आधारों पर खारिज किया जा सकता है।

(15) ध्यान देने पर हम पाते हैं कि यह दिन के समय लगभग 3-3.30 बजे की घटना थी। प्रत्यक्षदर्शी उसी इलाके के गवाह हैं। सभी प्रत्यक्षदर्शियों को चोटें आई थीं। उनकी चोट की रिपोर्ट भी डॉक्टर द्वारा

ऊपर बताए अनुसार सिद्ध की गई है। इसलिए, घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति के संबंध में शायद ही कोई संदेह हो सकता है।

(16) ध्यान देने पर हम यह भी पाते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान चिकित्सकीय साक्ष्य (मृतकों की चोट रिपोर्ट और शव परीक्षण रिपोर्ट) द्वारा समर्थित हैं और प्रत्यक्ष विवरण तथा चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई विसंगति नहीं है, जो प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता का समर्थन करती है। हम यह भी नोट करते हैं कि घटना में किसी भी आरोपी व्यक्ति को चोट नहीं आई और शिकायतकर्ता पक्ष के 2 मृतकों सहित कुल 8 व्यक्तियों को उपरोक्त चोटें आईं। उपरोक्त 6 घायल प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं द्वारा गठित विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के अनुक्रम में 2 मृतकों की हत्या करते समय, जब गवाहों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो रामेश्वर (A-6) ने गंगामाती (अ. सा. -11) पर तब्बल से हमला किया जिससे उसे गंभीर चोट आई; रूपराम (A-10) ने फिरतराम (अ. सा. -12) पर लाठी से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई और उसने तीरथराम (अ. सा. -4) तथा नीकराम (अ. सा. -15) पर भी हमला कर साधारण चोटें पहुंचाईं; गोविंदराम (A-20) ने उमेदराम (अ. सा. -16) पर लाठी से हमला कर साधारण चोट पहुंचाई; जनीराम (A-1) ने सहसराम (अ. सा. -13) पर टंगी से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई; हेतराम (A-2) ने सहसराम (अ. सा. -13) पर और परदेसी (A-4) ने तीरथराम (अ. सा. -4) तथा नीकराम (अ. सा. -15) पर टंगी से हमला कर साधारण चोटें पहुंचाईं; और जगजीवन (A-19) ने भी उमेदराम (अ. सा. -16) पर टंगी से हमला कर साधारण चोटें पहुंचाईं। इस कारण उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शियों के बयान अक्षुण्ण हैं और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी संपुष्ट हैं। इसलिए, सत्र न्यायालय ने उपरोक्त अपीलकर्ताओं को धारा 148 और 302/149 भारतीय दंड संहिता के तहत दो मामलों में दोषी ठहराने के अलावा, भारतीय दंड संहिता की उपर्युक्त धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सारवान साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, हमें सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय और निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं मिली है। अतः अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलें खारिज की जाने योग्य हैं और एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

सही/-

श्री राजीव गुप्ता

मुख्य न्यायाधिपति

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur